एफ.सं.38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 14 जुलाई, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकारी निर्णय का कार्यान्वयन - वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन का आशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के का.ज्ञा. सं. 38/37/08-पी एण्ड पीडबल्यू(ए) (दिनांक 3.10.2008 और 14.10.2008 के का.ज्ञा. द्वारा यथा स्पष्ट) के पैरा 4.2 के अनुसार, वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की आशोधित पेंशन, किसी भी मामले में, जिस संशोधन पूर्व वेतनमान से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, के तद्रुरूपी पे बैंड + ग्रेड पे में वेतन के न्यूनतम पचास प्रति शत से कम नहीं होगी । एचएजी+ और ऊपर के वेतनमानों के मामले में, यह संशोधित वेतनमान का न्यूनतम पचास प्रति शत होगा । मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाते रहे हैं कि दिनांक 1.1.2006 को समेकित पेंशन को बढ़ावा देने पर विचार करते समय क्या न्यूनतम संशोधित पे बैंड+ग्रेड पे/संशोधित वेतनमान में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (नॉन प्रैक्टाइसिंग एलाउंस) को शामिल किया जाना है । इस मामले की वित्त विभाग (व्यय विभाग) के परामर्श से जांच की गई है ।

2. पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर, एनपीए को, ऐसे मामलों में जहां समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को क्रमश: 50% / 30% बढ़ाया जाना था, दिनांक 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार संशोधित वेतनमान के न्यूनतम में शामिल नहीं किया गया था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने, बी.जे.अक्कारा बनाम भारत संघ और अन्य के स्थानान्तरण मामला (सिविल) 72/2004- सीओएल.(आरईटीडी) के दिनांक 10.10.2006 के अपने फैसले में, अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वेतनमान के अनुरूप दिनांक 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम संशोधित वेतनमान को शामिल किए जाने हेतु सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के मामले में एनपीए के लाभ को अनुमत न करने के रक्षा मंत्रालय के दिनांक 11.9.2001 के का.ज्ञा. की वैधता को कायम रखा है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि दिनांक 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार एनपीए न्यूनतम संशोधित वेतनमान का भाग नहीं है ।

3. चिकित्सा अधिकारियों को स्वीकृत एनपीए पे बैंड/वेतनमानों का भाग रूप नहीं लेता है । यह एक पृथक घटक है, यद्यपि पेंशन के संगणन के उद्देश्य से इसका ध्यान रखा जाता है । अत:, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों के मामले में दिनांक 1.9.2008 (दिनांक 3.10.20208 और 14.10.2008 के का.ज्ञा. द्वारा यथा स्पष्ट) के का.ज्ञा. सं. 38/37/08-पी एण्ड पीडबल्यू(ए) के पैरा 4.2 की शर्तों के अनुसार, दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार जहां समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को क्रमश: 50 प्रति शत/30 प्रति शत बढ़ाया जाना है, ऐसे मामलों में वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों को संशोधित पे बैंड + ग्रेड पे/संशोधित वेतनमान के न्यूनतम में एनपीए को शामिल नहीं किया जाना है ।

4. पेंशन/कुटुम्ब पेंशन संशोधन के मामलों के निपटान के समय उपर्युक्त स्पष्टीकरण को मद्देनजर रखने का भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर दबाव बनाया गया है । इन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे उपर्युक्त मुद्दों पर पेंशनभोगियों से उनके द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों का निपटान उन्हें इस विभाग को भेजे बिना ही कर दे ।

5. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 9.7.2009 के यू.ओ.सं.264/ईवी/2009 द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है ।

(एम.पी.सिंह)
निदेशक (पीपी)
टेलीफैक्स सं.24624802

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी पेंशनभोगी संगठन

कृपया देखें: http://pensionersportal.gov.in